


7.01.2025

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अभिभाषक उपस्थित। उभयपक्ष अभिभाषक की बहस प्रार्थना पत्र बाजदायरी अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पर सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बाजदायरी प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर मूल वाद को पुनः नंबर पर लिये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए बाजदायरी प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत की गयी नजीरों का ससम्मान परिशीलन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध भू-अभिलेख व दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र बाजदायरी का धारा 151 सीपीसी के तहत पेश किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ मूल दावे की प्रमाणित प्रतियां भी पेश नहीं की गयी जिसके अभाव में मूल वाद के पक्षकारान की जानकारी पाना संभव नहीं है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र 14 वर्ष के विलंब के साथ पेश किया गया, साथ ही मियाद से संबंधित कोई उज्रदारी नहीं की गयी। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा धारा 151 सीपीसी में प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जबकि व्यवहार प्रक्रिया संहिता में बाजदायरी हेतु निहित प्रावधान है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने तथा मियाद के बिन्दु पर कोई अनुतोष नहीं चाहने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाजदायरी प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल-ए-दफतर हो।


उपखण्ड अधिकारी
अजमेर